संख्या : रैव0–बी0 एफ0(10)–386 / 2010
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।

दिनाक शिमला–171002 2009

विषय :– आवस्थी ऐजूकेशन सोसाईटी द्वारा बी0एड कालेज स्थापित करने हेतु करने हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके कार्यालय पत्र संख्या: एल0आर0बी–एस–118(722) 1730, दिनांक 27–8–2010 द्वारा प्राप्त उक्त आवेदक सोसाईटी के प्रकरण के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज एक्ट, 1972 की धारा 118 की उप–धारा 2 के खण्ड (एच) तथा हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज, 1975 के नियम 38 ए के उप–नियम 3 के खण्ड (ई) के अर्न्तगत शक्तियों का प्रयोग करते हुये आवेदक सोसाईटी के पक्ष में भूमि खसरा सख्या 3,4,5,11,2,6,12 कुल किता 7 रकबा 0–97–11 है0 का 1/8 भाग बकदर 0–12–14 है0 व खसरा सख्या 10,3,13,7 व 9 किता 5 कुल रकबा तादादी 0–87–94 है0 का 48/192 रकबा तादादी 0–21–99है0 कुल रकबा 0–34–13 है0 स्थित मैजा बटहेर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के बी0 एड0 शिक्षा संस्थान स्थापित करने हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. यह अनुमति इस पत्र के जारी होने से 180 दिन तक मान्य/वैद्य होगी।
2. भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये 2 वर्षो की अवधि के अन्दर किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिये अनुमति दी गई है। यदि भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया तो उक्त भूमि सभी प्रकार से भारमुक्त होकर सरकार में निहित हो जायेगी।
3. जमाबन्दी की टिप्पणी खण्ड मे लाल स्याही से इन्द्राज किया जाये कि पटटेदार भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार से भूमि आबंटन/लीज/अनुदान के लिये कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा
4. इस स्वीकृति के अर्न्तगत पटटे पर हस्तांतरित की गई भूमि का पटटेदार कृषक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा और ऐसा अकृषक व्यक्ति अकृषक ही रहेगा।
5. पटटे पर हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का स्टैम्प शुल्क नियमानुसार देय होगा।
6. इस विभाग के पत्र संख्या रैव0–बी0–एफ0(10)-87 / 2003, दिनांक 29.10.2003 द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित दो वर्षो की समयावधि के भीतर इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

...व (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
फोन नं0 0177–2880687

कृ0पृ0उ0